



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 937]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 20, 2017/कार्तिक 29, 1939

No. 937]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 20, 2017/KARTIKA 29, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2017

**सा.का.नि. 1432(अ).**—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जब इस अधिसूचना की प्रतियाँ, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

2. इन प्रारूप नियमों की बाबत, आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव (परिवहन), भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ई-मेल: [js-tpt@nic.in](mailto:js-tpt@nic.in) को भेजे जा सकेंगे।

3. केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा।

### प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान ( संशोधन) नियम, 2017 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115 में, उप-नियम 20 के पश्चात्, एक नया उप-नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(21) 1 अप्रैल, 2020 से पहले निर्मित उत्सर्जन मानक भारत स्टेज-IV वाले नये मोटर वाहनों का पंजीकरण 30 जून, 2020 के बाद नहीं किया जाएगा;

परन्तु 1 अप्रैल, 2020 से पहले निर्मित प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन के उत्सर्जन मानक भारत स्टेज-IV वाले नये मोटर वाहन जो कि ड्राईव अवे चैचिस के रूप में बेचे गये हों, 30 सितम्बर, 2020 के बाद पंजीकृत नहीं होंगे।”

[फा. सं. आर.टी.-11028/16/2017-एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. (अ), तारीख द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2017

**G.S.R. 1432(E).**—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), email: js-tpt@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

#### Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2017.  
(2) These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 115, after sub-rule 20, a new sub-rule shall be inserted namely:—

“(21) New motor vehicles conforming to Emission Standard Bharat Stage-IV, manufactured before 1<sup>st</sup> April, 2020 shall not be registered after 30<sup>th</sup> June, 2020.”

Provided that, the new motor vehicles of categories M & N, conforming to Emission Standard Bharat Stage-IV, manufactured before 1<sup>st</sup> April, 2020 and sold in the form of drive away chasis, shall not be registered after 30<sup>th</sup> September, 2020.”

[F. No. RT-11028/16/2017-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. \_\_\_\_\_(E), dated \_\_\_\_\_.